बीड़ी कर्मकारों को दी जाने वाली तम्बाकू की मात्रा

58. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय देश में निजी निर्माताओं, ठेकेदारों और बिचौलियों द्वारा बीड़ी कर्मकारों को एक हजार बीड़ी बांधने हेतु भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न मात्रा में तम्बाकू और तेंदु पत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त मात्रा में दिए जा रहे तम्बाकू और तेंदू पत्ते से एक हजार बीड़ी बांधना न केवल कठिन बल्कि असंभव भी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में एक रूपता लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ताकि बीड़ी कर्मकारों को शोषण से बचाया जा सके ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) जी हां ठेकेदारों सटटेदारों जैसे बिचौलियों द्वारा बीड़ी कर्मकारों को तेंदू पत्ता, तम्बाकू आदि जैसी कच्ची सामग्री की अपर्याप्त आपूर्ति के संबंध में शिकायतें मिली हैं।

(ग) चूंकि इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार समुचित प्राधिकारी है, अतः उनसे अनुरोध किया गया है कि विभिन्न आकार की बीड़ियां बनाने के लिये बीड़ी कर्मकारों को दी जाने वाली कच्ची सामग्री अर्थात् तम्बाकू, तेंदू पत्ता आदि के मानकीकरण के लिए राज्य सरकारें, नियोक्ताओं, कर्मकारों और सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल करके त्रिपक्षीय समिति का गठन करें।

"टी सीरिज" के विरूद्ध लंबित श्रम संबंधी मामले

59. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोयडा स्थित मैसर्स टी सीरिज के विरूद्ध श्रम समस्याओं से संबंधित कितने मामले लम्बित हैं; और

(ख) श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए सरकार टी सीरिज के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बाल श्रमिकों की रक्षा के लिये नई योजना

60. **श्री राम नरेश यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिये कोई नई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न संगठनों /संस्थाओं में 23 प्रतिशत से भी अधिक बाल श्रमिक कार्यरत हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन बाल श्रमिकों का शोषण रोकने और उन्हें अधिक मजदूरी दिलाने के लिये इन संगठनों/संस्थाओं को क्या-क्या निर्देश दिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं. 1981 की जन-गणना के अनुसार, खनन और उत्खनन और विनिर्माण जैसे संगठित क्रियाकलापों में नियुक्त बाल श्रमिकों का औसत कुल बाल जनसंख्या का 5.08% है।

(घ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का भाग-III जो बाल श्रम के नियोजित होने की स्थिति में उनकी कार्य दशाओं को विनियमित करने से संबंधित है, उन सभी क्षेत्रों में अधिसूचित किया जा चुका है, जिनमें बाल श्रम निषिद्ध नहीं है।

Implementation of National Policy on Child Labour

61. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no commendable step has been taken to implement the National Policy on Child Labour announced way back in 1987;

(b) if so, the details thereof and reasons therefor; and

(c) what steps are proposed to be taken now for its implementation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Various steps under the action plan outlined in the National Policy on Child Labour are proposed to be continued and stepped up.

Non-utilisation of ILO Funds for elimination of child labour

62. SHRI B. A. PASWAN:
SHRI SOM PAL:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news report appearing in THE ECONOMIC TIMES dated 11th June, 1993, under the heading "funds plenty but no action to end child labour";

(b) if so, what is the reaction of Central Government thereto;

(c) what are the reasons for non-utilisation of the funds provided by the International Labour Organisation for the purpose; and

(d) what are the details of such funds and what steps are being taken to utilise these funds?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) There are certain factual errors in the report. The funds available under the International Programme for Elimination of Child Labour in India fod the year ending December, 1993 are US $ 2.25 million, of which more than 50 per cent are already committed for 39 different projects, under implementation in various parts of the country. The National Steering Committee is in position and is operative. The amount available is likely to be fully utilised within the time-frame of IPEC. Apart from the ten States with lesser incidence of child labour identified for its elimination in the first phase, programmes are also being taken up in other States. While it is not practicable to fix a time span for total elimination, rate of progress in this is expected to be geometrical rather than linear.

Various complaints received from overseas employees

63. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether complaints have been received from workers regarding cheating, substitution of contracts, non-payment and delayed payment of wages, premature termination of contract, unsatisfactory lining and working conditions, harassment, delayed payment of death and disability compensation etc. from their overseas employers during the year 1992 and 1993;